

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3563/विविध/2018/227 दिनांक- ८/५/१५

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय)

विषय:- शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एंव कर्मचारियों द्वारा विद्यालय समय में मोबाईल का प्रयोग किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। शिक्षकों द्वारा कक्षा-कक्ष में मोबाईल फोन के उपयोग की प्रवृत्ति के संबंध में शिक्षायतें आमतौर पर प्राप्त होती हैं। उक्त बाबत् विभाग के अधीनस्थ समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एतद् द्वारा निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राज्य के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों के समस्त छात्र-छात्राओं एंव समस्त स्टाफ को कक्षा-कक्ष एंव शाला परिसर में वार्ता करने पर पांचदी लगाई जाकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावें।

2. शाला स्टाफ सदस्यों व छात्र/छात्राओं द्वारा एक बार हिदायत देते हुए पुनरावृति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही 'राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम-1971' के अनुरूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करें।

उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु सूचना पट्ट एंव प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रचार -प्रसार करते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में मोबाईल फोन के उपयोग पर समुचित प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करें।


www.rajteachers.com


(ओम कुमार)
आई.ए.एस

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एंव
पंचायती राज (प्राशि) विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजकर निर्वेदन किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जि.शि. अ. से शासन के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाकर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर